

Sund Mail

राजस्थान सरकार
कार्यालय शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त, ईजीएस

क्रमांक: P4(S) RD/NRESS/Dmt/29

जयपुर, दिनांक: 24/4/09
12 APR 2009

1. जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
समस्त, राजस्थान

विषय: नरेगा का वन विभाग के साथ Convergence के संबंध में...

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी (नरेगा) का वन विभाग के साथ **Convergence** की अत्यधिक सम्भावना है। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया है, कि जिस समय उन्हें वृक्षारोपण हेतु श्रमिकों की आवश्यकता रहती है, संबंधित पंचायत द्वारा उन्हें पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं।

वृक्षारोपण का कार्य निश्चित समयावधि में ही किया जा सके, इस हेतु आप यह सुनिश्चित करे कि माह जून व जुलाई में वन विभाग के कार्यों हेतु प्राथमिकता के आधार पर श्रमिक उपलब्ध कराये जाये। पंचायत तथा अन्य विभागों के कार्य वर्ष के शेष समय में भी लिये जा सकते हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र भाणावत)

शासन सचिव, ग्रा.वि.

एवं

आयुक्त, ईजीएस